

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर
जिला हनुमानगढ

सुशिलादेवी

बनाम

महावीर

किस्म मुकदमा , 88 188, आर.टी.एक्ट.

नम्बर 768

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
23.08.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.2022 पेश हो।	
14/10/22	एचएलसी वेब डूड श्रीमान् एम.ओ. आर.टी.एक्ट. स्थानांतरण हो चुका है पत्रावली क्र. 24/11/23 को पेश हो।	
24/11/23	वकील वादी आर.टी.एक्ट. प्रतिवादीगण की पत्रावली हेतु रजि.पत्रावली पेश हो। फरवली नम्बर 24/03/2023 को पेश हो।	
20/2/23	वकील वादीगण द्वारा आर्षीगण आर्षीगण पत्र प्रस्तुत करे पर जजानी आज फेरी में ली गई। आर्षीगण/प्रतिवादी के आर्षीगण पत्र के विवेदन दिया है कि भद्रवानी राजा के वादीगण व वादीगण का पंच पंचायती में शक्तिमान हो चुका है तथा वादिमान अब वाद वादिमान चलाना नहीं चाहती है। इसलिए वाद वादिमान आज की तारीख फेरी में ली जाय तब तक फरवली अतः वादीगण व प्रतिवादीगण का शक्तिमान होने के कारण प्रवर्ण प्रवर्ण दिया गया है। फरवली नम्बर के अंतर्गत ही प्रवर्ण प्रवर्ण हो गई।	<p>3.11. सुशिलादेवी</p> <p>2.11. एजडिपी-</p> <p>2.11. एजडिपी</p> <p>2.11. एजडिपी</p> <p>QR Code</p> <p>3.11. 20/2/23</p> <p>फरवली</p> <p>20/2/23</p>

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर